


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुये

29.7.24

वकील वादीगण उपाख्यता प्रतिवादीगण की तलबी
देह समय-चाहा/ पत्रावली के अवलोकन से
यह स्पष्ट है, कि यह प्रकरण प्रतिवादीगण
की तलबी देह काफ़ी लम्बे अर्से से लम्बित हो
इस देह न्यायालय हाजि द्वारा वकील वादीगण
को कई बार अवसर दिये जा चुके हैं इतने
अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकील
वादीगण के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया
जाना उनकी ओर से प्रकरण को आगे नहीं
चलाये जाने की दिलचस्पी को जाहिर करता
है, जबकि प्रचलित नियमों के अन्तर्गत
वाद को सिद्ध करने/ निरामानुस्य न्यायिक
प्रक्रियाओं की पूर्ति किये जाने का धुर्धुरेण दायित्व
वादी का ही रहता है। ऐसी स्थिति में सिविल
प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के
प्रवधानों के अन्तर्गत प्रकरण जॉर कम्प्लायन्स/
अदम तम्नील में दावा वादीगण खारिज किया
जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल
दफ़्तर हो।


बह्यिक कलक्टर नूक्याक
मोलपुर (राज०)